रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 222] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 7, 1990/ज्येष्ठ 17, 1912
No. 222] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 7, 1990/JYAISTHA 17, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 7 जून, 1990

रेल (धनीय दायित्व का विस्तार और प्रतिशत प्रभार का विहित किया जाना) नियम, 1990

सा. का. नि. 557(अ) :—केन्द्रीय सरकार साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 के साथ पठित रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 112 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल (धनीय दायित्व का विस्तार और प्रतिशत प्रभार का विहित किया जाना) नियम, 1990 है।

(2) ये अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" से रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "धाती सामान" से वहन के लिए रेल प्रशासन को सौंपी गई किसी धाती की वैयक्तिक चीजवस्त अभिप्रेत है,

(ग) किसी परेषण के संबंध में "अतिरिक्त मूल्य" से वह रकम अभिप्रेत है जिससे परेषक द्वारा घोषित मूल्य नियम (3) के उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट या परिगणित रूप में किसी रेल प्रशासन के दायित्व की रकम से अधिक है,

(घ) "प्रतिशत प्रभार" से अनुसूची 2 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार परिगणित अतिरिक्त मूल्य पर संदेय प्रतिशत प्रभार अभिप्रेत है,

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है।

(च) ऐसे शब्दों और पदों का जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उनका उस अधिनियम में है।

रेल प्रशासन का धनीय दायित्व

3. (1) जहां कोई रेल प्रशासन किसी परेषण की हानि, नुकसान, नाश, क्षय या अपरिदान के लिए उत्तरदायी है वहां ऐसी हानि, नुकसान, नाश, क्षय या अपरिदान के संबंध में ऐसे रेल प्रशासन के दायित्व की रकम, जब तक कि परेषक ने उसके मूल्य को घोषित न किया हो और ऐसे परेषण के अतिरिक्त मूल्य पर प्रतिशत प्रभार संदत्त न किए हों,—

(i) किसी ऐसे परेषण की दशा में जिसमें जीवजन्तु हैं, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट रकम से; या

(ii) किसी ऐसे परेषण की दशा में जिसमें यात्री सामान है, सौ रुपए प्रति किलोग्राम की दर से परिगणित रकम से; या,

(iii) और खण्ड (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट से भिन्न किसी परेषण की दशा में पचास रुपए प्रति किलोग्राम की दर से परिगणित रकम से,

अधिक नहीं होगी ।

(2) जहां कोई रेल प्रशासन किसी परेषण की हानि, नुकसान, नाश, क्षय या अपरिदान के लिए उत्तरदायी है और परेषक ने वहन के लिए सौंपे जाने के समय ऐसे परेषण का मूल्य घोषित किया है और अनुसूची 2 के यथास्थिति भाग 1 या भाग 2 में विनिर्दिष्ट दर पर अतिरिक्त मूल्य पर प्रतिशत प्रभार संदत्त किया है, वहां ऐसे परेषण की हानि, नुकसान, नाश, क्षय या अपरिदान के लिए किसी रेल प्रशासन के दायित्व की रकम इस प्रकार घोषित मूल्य से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण 1

जहां किसी परेषण के वहन के संबंध में भाड़ा उसके वास्तविक वजन से अन्यथा किसी आधार पर प्रभार्य है वहां किसी रेल प्रशासन के दायित्व की रकम का अवधारण ऐसे परेषण के वास्तविक वजन के प्रति निर्देश से किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2

जहां हानि, नुकसान, नाश, क्षय या अपरिदान किसी परेषण के केवल भाग के संबंध में है वहां किसी रेल प्रशासन के दायित्व की रकम का अवधारण करने के लिए विचारार्थ लिया जाने वाला वजन खो गए, नुकसानग्रस्त नष्ट हुए, क्षय हुए या अपरिदत्त माल का वजन होगा जब तक कि ऐसी हानि, नुकसान, नाश, क्षय या अपरिदान से सम्पूर्ण परेषण के मूल्य पर प्रभाव न पड़ता हो ।

4. वहन के लिए कतिपय माल का तब तक स्वीकार न किया जाना जब तक कि प्रतिशत प्रभार का संदाय न कर दिया गया हो ।

कोई रेल प्रशासन अनुसूची 2 के भाग 1 में विनिर्दिष्ट माल को वहन के लिए तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि एक परेषक से ऐसे माल के मूल्य की घोषणा नहीं करता है और अनुसूची 2 के स्तम्भ 2 में वर्णित रूप में ऐसे माल को लागू प्रतिशत प्रभार का संदाय नहीं करता है ।

[सं. 89/टी. सी. III/1/6 आर ए./89/धारा 103]

एस. के. मलिक संयुक्त निदेशक (आर. ए. आर)
(रेलवे बोर्ड)

अनुसूची 1

जीवजन्तुओं का वर्णन	रेल प्रशासन के उत्तरदायित्व का विस्तार (रुपयों में)
हाथी	6,000
घोड़े	3,000
खच्चर, सींगदार पशु या ऊंट	800
कुत्ते, गधे, बकरियां, सूअर, भेड़ या अन्य ऐसे पशु जो ऊपर वर्णित नहीं हैं या चिड़िया	120

अनुसूची 2

माल का विवरण	प्रतिशत प्रभार की दर
भाग 1	
(1)	(2)
1. सोना 2. चांदी 3. मोती 4. बहुमूल्य रत्न 5. आभूषण 6. करेंसी नोट और चैक 7. सरकारी स्टाम्प	अतिरिक्त मूल्य के अधिकतम 1 प्रतिशत के अधीन रहते हुए, प्रति 160 किलोमीटर या उसके भाग के लिए अतिरिक्त मूल्य पर प्रति 100 रुपए या उसके भाग के लिए 13 पैसे
भाग 2	
भाग 1 में विनिर्दिष्ट से अन्यथा माल	अतिरिक्त मूल्य के अधिकतम 1 प्रतिशत के अधीन रहते हुए प्रति 160 किलोमीटर या उसके भाग के लिए अतिरिक्त मूल्य पर प्रति 100 रुपए या उसके भाग के लिए 25 पैसे ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 1990

RAILWAYS (EXTENT OF MONETARY LIABILITY AND PRESCRIPTION OF PERCENTAGE CHARGE) RULES, 1990

G.S.R. 557(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (c) of sub-section (2) of section 112 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) read with section 22 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby makes the following Rules namely:

1. Short Title and Commencement:—(1) These rules may be called the Railways (Extent of Monetary Liability and Prescription of Percentage Charge) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of commencement of the Act.

2. Definitions:—In these Rules unless the context otherwise requires;

(a) "Act" means the Railways Act, 1989 (24 of 1989).

(b) "Baggage" means personal effects of a passenger entrusted to a railway administration for carriage.

(c) "Excess value" in respect of any consignment means the amount by which the value declared by a consignor exceeds the amount of liability of a railway administration as specified or calculated under sub rule (1) of rule (3).

(d) "Percentage charge" means the percentage charge payable on excess value calculated in accordance with the rate specified in column 2 of Schedule II.

IndiaCode

(e) "Schedule" means the Schedule to these rules.

(f) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Monetary Liability of a railway administration:— (1) Where a railway administration is responsible for loss, damage, destruction, deterioration or non-delivery of any consignment the amount of liability of such railway Administration in respect of such loss, damage, destruction, deterioration or non-delivery shall not, unless the consignor has declared its value and paid percentage charge on excess value of such consignment, exceed,—

(i) in the case of any consignment consisting of animals, the amount specified in Schedule I; or

(ii) in the case of any consignment consisting of baggage, an amount calculated at rupees one hundred per kilogramme; or

(iii) in the case of any consignment other than those referred to in clauses (i) and (ii) above, an amount calculated at rupees fifty per kilogramme.

(2) Where a railway administration is responsible for loss damage, destruction, deterioration or non-delivery of any consignment and the consignor has at the time of entrustment for carriage declared the value of such consignment and paid percentage charge on excess value at the rate specified in Part I or Part II as the case may be of Schedule II, the amount of liability of a railway adminisitration for loss, damage, destruction, deterioration or non-delivery of such consignment shall not exceed the value so declared.

Explanation 1

Where in respect of carriage of any consignment, the freight is chargeable on any basis other than its actual weight, the amount of liability of a railway administration shall be determined with reference to the actual weight of such consignment.

Explanation 2

Where the loss, damage, destruction, deterioration or non-delivery is only with respect to part of a consignment, the weight to be taken into consideration for determining the amount of liability of a railway administration is the weight of the goods lost, damaged, destroyed, deteriorated or non-delivered unless such loss, damage, destruction, deterioration or non-delivery affects the value of the entire consignment.

4. Certain goods not to be accepted for carriage unless percentage charge paid.

No railway administration shall accept for carriage, the goods specified in Part I of Schedule II unless the consignor declares the value of such goods and pays the percentage charge applicable to such goods as indicated in column 2 of Schedule II.

[No. 89/TC III/1/6RA '89/Sec. 103]

S.K. MALIK, Jt. Director R.A.R.)
(Railway Board)

SCHEDULE I

Description of animals	Extent of responsibility of railway administration
	(per head) (Rs.)
Elephants	6,000
Horses	3,000
Mules, horned cattle or camels	800
Dogs, donkeys, goats pigs, sheep or other animals not mentioned above, or birds	120

SCHEDULE II

Description of Goods	Rate of Percentage Charge
PART I	
(1)	(2)
1. Gold 2. Silver 3. Pearls 4. Precious stones 5. Jewellery 6. Currency notes and coins 7. Government stamps	13 paise per 100 rupees or part thereof on excess value per 160 kilometres or part thereof subject to a maximum of 1% of excess value.
PART II	
Goods other than those specified in Part I	25 paise per 100 rupees or part thereof on excess value per 160 kilometres or part thereof subject to a maximum of 1% of excess value.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990